कालूराम बनाम कुलविन्द्र
परिवाद संख्या 436/2024
नम्बरी फौजदारी इस्तगासा 537/2026

दिनांक 01.07.2026

परिवादी मय अधिवक्ता श्री लीलाधर शर्मा उपस्थित। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने यह परिवाद अभियुक्त के विरूद्ध इस आशय का पेश किया है कि अभियुक्त ने परिवादी से वाहन खरीदने व फाइनेंस की किश्तों की अदायगी हेतु एक चैक सं0–**410175** राशि 4,00,000/–रूपये दिनांक 06.09.2024 को बैंक UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LTD शाखा फतेहबाद का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया था जिसे भुगतान हेतु परिवादी द्वारा अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा में लगाने पर **Drawer's Signautre differs** के आधार पर उक्त चैक अनादरित हो गया जो बैंक ने परिवादी को रिटर्न मीमो सहित दिनांक 11.09.2024 को लौटा दिया। परिवादी ने दोबारा दिनांक 14.10.2024 को अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा में पेश किया परन्तु बैंक द्वारा दिनांक 15.10.2024 को उक्त चैक को **Refer to drawer** के आधार पर वापस लौटा दिया गया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत अंदर मियाद इस बाबत अभियुक्त को दिनांक 23.10.2022 को रजिस्टर्ड एडी नोटिस अभियुक्त के रजिस्टर्ड पते पर भिजवाया गया। अभियुक्त को उक्त नोटिस की सूचना प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार नोटिस की जानकारी होने के बावजूद भी अभियुक्त ने अभी तक चैक राशि की अदायगी नहीं कर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध कारित किया।

अपने परिवाद के समर्थन में परिवादी ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया हुआ है। परिवादी ने शपथ पत्र में परिवाद के तथ्यों की पुष्टि की है। परिवाद के संलग्न दस्तावेज तथा परिवादी के शपथ पत्र के आधार पर **कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री जीतसिंह निवासी पी. डब्ल्यू.डी. कॉलोनी फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद हरियाणा** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अपराध बनना पाया जाता है। लिहाजा उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। सम्मन तलबाना, नकल परिवाद पेश करे। पेश होने पर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया जावे।

प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Criminal Appeal Number 1731 (M/S. Meters amd Instruments pvt. versus Kanchan mehta) to 1733 of 2017 Judgement Dated 05.10.2017 के अनुसरण में अभियुक्त को यह विकल्प है कि यदि अभियुक्त चाहे तो इसी प्रक्रम पर परिवादी को रू 4,00,000/–रूपये परिवादी के बैंक खाता में जमा करवाकर रसीद न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रकरण का निपटारा करवा सकता है अन्यथा प्रकरण का विचारण किया जावेगा।

पत्रावली पेश होने रसीद/तलबी अभियुक्त में दिनांक 01/10/2026. को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)